कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment, Government of India
क्षेत्रीय कार्यालय, Regional Office
द्वितीय तल, संजय कॉम्प्लेक्स, जयेन्द्र गंज, ग्वालियर (म.प्र.)
2nd Floor, Sanjay Complex, Jayendra Ganj, Gwalior(M.P.)
दूरभाष (Ph):0751–2638900(PRO),2426203(AC),2620792(AC),2638700 (RC),2432602(Fax)
ई–मेल (e-mail) : sro.gwalior@epfindia.gov.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्र/ भनि/म.प्र./क्षेका/ग्वालियर/प्रशा./**Car Hiring**/ दिनांक .....

# किराये पर वाहन (कार) हेतु निविदा सूचना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उपक्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर (इसमें पहली पार्टी कहलाएगी) द्वारा संविदा एवार्ड करने की तिथि से एक वर्ष के लिए मासिक आधार पर भाड़े के लिए एक श्वेत रंग/समानक मिड साइज(ए.सी.) कार मॉडल **जनवरी 2021** के बाद पंजीकृत हो निम्नलिखित मारूति स्विफ्ट डिजायर अथवा समकक्ष (सफेद रंग, डीजल/पेट्रोल) ब्रान्ड/मॉडल में से कोई एक हेतु पंजीकृत यात्रा एजेंसियों अथवा वाहन मालिक (इसमें दूसरी पार्टी कहलाएगी) से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। वाहन सामान्यतः ग्वालियर संभाग में यात्रा हेतु आवश्यक हैं, लेकिन जरूरत के आधार पर कार्यालय प्रयोजन हेतु ग्वालियर संभाग से बाहर भी आवश्यक हो सकती हैं। कोटेशन 2300 किलो. मीटर के न्यूनतम मासिक औसत (वार्षिक 27,600 कि.मी.) के लिए उपलब्ध कराना होगा। अनुबंधित पैरामीटर से ऊपर और एजेंसियों को चाहिए कि वे अपनी एजेंसी/वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज **जैसे** – नाम व पता, पैन, वाहन पंजीकृत कागज/प्रमाण पत्र आदि निविदा सूचना के साथ अवश्य संलग्न करें। निविदा प्रपत्र कार्यालय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, से **दिनांक 25.02.2021 से 17.03.2021 को अपराहन 02:00 बजे तक** प्राप्त किया जा सकता है। मुहरबंद कोटेशनों के **प्रेषण की अंतिम तिथि दिनांक 17.03.2021 के अपराहन 04:00 बजे तक** होगी। मुहरबंद लिफाफों में प्राप्त निविदा कोटेशन उसी दिन **अपराहन 05:00 बजे** उपस्थित निविदाकर्त्ताओं के समक्ष (यदि कोई उपस्थित हों) खोले जाऐंगे।

सहायक भविष्य निधि आयुक्त
क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
25/02/21

....1...

# कार्यालय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)

## किराये पर वाहन प्राप्त करने हेतु निविदा प्रपत्र

| | | |
|---|---|---|
| 1 | निविदा प्रपत्र प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता– | |
| 2 | ट्रेवल एजेन्सी का पंजीयन क्रमांक / दिनांक एवं अवधि | |
| 3 | आयकर पेन क्रमांक (छायाप्रति) | |
| 4 | सेवाकर क्रमांक | |
| 5 | निविदा प्रपत्र का मूल्य | रू. 200 / – (दो सौ रूपये मात्र) |
| 6 | निविदाकर्ता के पास उपलब्ध वैध वाहनों की संख्या (मॉडलवार) | |
| 7 | धरोहर राशि<br>बैंक का नाम<br>एफ.डी.आर. क्रमांक / दिनांक | |
| 8 | आयकर की विगत 1 वर्ष की रिटर्न प्रति | |
| 9 | सेवाकर की विगत 1 वर्ष की रिटर्न प्रति | |

(निविदा प्रपत्र जारीकर्ता की सील एवं हस्ताक्षर)

सहायक भविष्य निधि आयुक्त
क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

24/02/21

....2...

मैं, उपरोक्त विवरण अनुसार किराये पर वाहन देने हेतु निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों पर तथा प्रपत्र में मेरे द्वारा अंकित की गई दरों पर वाहन किराये पर देने (मासिक) हेतु तैयार हूँ। मैंने धरोहर राशि रू. 10,000/– का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ एफ.डी.आर. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्वालियर के नाम जमा कर रहा हूँ।

निविदा की समस्त शर्तें मुझे बिना शर्त मान्य है।

गवाह 1. ..... हस्ताक्षर

पता .....

गवाह 2. ..... नाम .....

पता ..... पिता का नाम .....

पता .....

दूरभाष/मो.नं.....

——————00——————

# कार्यालय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)

## किराये पर वाहन प्राप्त करने हेतु निविदा की शर्तें

**1– निविदा का मूल्य एवं विक्री :–**

निविदा प्रपत्र कार्यालय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, से **दिनांक 25.02.2021 से 17.03.2021 को अपराहन 02:00 बजे तक** प्राप्त किया जा सकता है। मुहरबंद कोटेशनों के **प्रेषण की अंतिम तिथि दिनांक 17.03.2021 के अपराहन 04:00 बजे तक** होगी। मुहरबंद लिफाफों में प्राप्त निविदा कोटेशन उसी दिन **अपराहन 05:00 बजे** उपस्थित निविदाकर्त्ताओं के समक्ष (यदि कोई उपस्थित हों) खोले जाऐंगे।

**2– निविदा प्रपत्रों के साथ वांछित दस्तावेजों की सूची :–**

1. संस्था/प्रोपराईटर के वैध पंजीयन की सत्यापित प्रति।
2. संस्था/प्रोपराईटर के पेन नम्बर की सत्यापित प्रति।
3. पूर्व में किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय/संस्थान को वाहन प्रदान करने का अनुभव यदि हो प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. सर्विस टैक्स का 15 डिजिट कोड नम्बर एवं दिनांक 30/03/2020 को समाप्त हुए वर्ष का सर्विस टैक्स क्लियरेन्स प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति।

**3– धरोहर राशि :–**

1. निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि रू. 10,000/– स्थानीय शैड्यूल बैंक की एफ.डी.आर. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्वालियर के पक्ष में देय होगी।
2. धरोहर राशि की अवधि एक वर्ष की होगी।
3. सफल निविदाकार की धरोहर राशि संपूर्ण निविदाकाल में सुरक्षा जमा के रूप में कार्यालय में जमा रहेगी।
4. असफल निविदाकारों की धरोहर राशि वापिस कर दी जावेगी, परंतु द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार की धरोहर राशि अनुबंध पर हस्ताक्षर के बाद वापिस की जायेगी।

**4– अनुबंध की अवधि :–**

1. अनुबंध की अवधि कार्यादेश के दिनांक से एक वर्ष की होगी निविदाकार का कार्य संतोषजनक होने पर अथवा आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
2. ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों/शासकीय नियमों/कर, प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। एवं इस स्थिति में धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
3. कार्यालय को अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताऐ 7 दिवस का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

....4...

**5– वाहन से संबंधित सामान्य शर्तें :–**

1. निविदाकार की ट्रेवल एजेन्सी का परिवहन विभाग से पंजीयन होना चाहिए।
2. वाहन प्रदाय दरें मासिक आधार पर दी जावे जिसमें डीजल/पेट्रोल वाहन चालक का वेतन एवं दैनिक भत्ते, वाहन की मरम्मत एवं शासन के समस्त करों पर होने वाले समस्त व्यय शामिल होंगे।
3. वाहन वर्ष जनवरी 2021 अथवा उसके पश्चात् का मॉडल होना अनिवार्य है। वाहन टैक्सी कोटा में रजिस्टर्ड होना चाहिए। वाहन का काम्प्रीहेन्सिव बीमा होना अनिवार्य है।
4. बंधक रखे वाहनों के संबंध में इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा एवं वाहन जप्त होने की दशा में निविदाकार दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगा।
5. निविदा को स्वीकृत या बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्वालियर को होगा।
6. वाहन मय वाहन चालक के प्रभारी अधिकारी/संबंधित अधिकारी के नियंत्रण में रहेगा।
7. वाहन किराये का भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात् निविदा अनुबंध के अनुसार निर्धारित दरों पर बिल के सत्यापन के पश्चात् ही किया जायेगा।
8. वाहन की यात्रा वाहन को उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित की जावेगी जिसके लिए वाहन में लॉग बुक रखना अनिवार्य होगा।
9. शासन के द्वारा वाहन के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
10. वाहन का माईलोमीटर चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा।
11. ड्राईवर एवं वाहन की मरम्मत तथा शासकीय करों आदि का व्यय निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा।
12. वाहन की साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा, इसके लिए निविदाकार स्वयं/निजी ट्रेवल्स एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
13. वाहन के साथ वाहन चालक का मूल ड्राईविंग लाईसेन्स एवं वाहन से संबंधित मूल दस्तावेज तथा रजिस्ट्रेशन बुक बीमा इत्यादि होना चाहिए। संबंधित आर.टी.ओ. द्वारा किसी प्रकार की शास्ति अधिरोपित की जाती है तो निविदाकार को स्वयं वहन करना होगी।
14. ड्राइवर और वाहन को चाहिए वे मोटर व्हीकल अधिनियम एवं संगत कानूनों का अवष्य अनुपालन करें। ड्राइवर को चाहिए कि वह हर वक्त वर्दी (सफेद सफारी/सफेद शर्ट–पैंट्स) पहने। उसकी सेवाएँ नियंत्रण अधिकारी के संतुष्टि पर आधारित होगी।
15. प्रवास के दौरान मार्ग में वाहन से संबंधित कोई असुविधा होने पर निविदाकार अपनी व्यवस्था एवं स्वयं के व्यय से अधिकारी को पहुंचाने एवं लाने हेतु उत्तरदायी होगा जिसके लिए पृथक से कोई दावा मान्य नहीं होगा। (वाहन खराब होने की दशा में अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा )
16. वाहन चालक का आचरण व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उसपर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला पुलिस/न्यायालय में दर्ज नहीं होना चाहिए साथ ही सजा याफ्ता न हो। वाहन चालक की शिकायत आने पर वाहन तत्काल बंद कर दिया जायेगा तथा निविदाकार को वाहन चालक बदलकर देना होगा।
17. वाहन के उपयोग के दौरान दुर्घटना से होने वाले आर्थिक क्षति एवं जन हानि के लिए किसी प्रकार की क्षति पूर्ती भविष्य निधि कार्यालय द्वारा नहीं की जायेगी। वाहन चोरी अग्नि दुर्घटना तथा आन्दोलन से होने वाली क्षति के लिए भी निविदाकार ही जिम्मेदार होगा।
18. संपूर्ण रख–रखाव जैसे वाहन टायर, ट्यूब, स्टपनी, बेटरी, सेल्फ स्टार्ट, माईलोमीटर इत्यादि दुरूस्त रखने की जिम्मेदारी ट्रेवल एजेन्सी की होगी।

....5...

19. वाहन खराब होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था एजेन्सी को करना होगी। अपरिहार्य परिस्थिति में अन्य वाहन का उपयोग करने के लिए प्रभारी अधिकारी स्वतंत्र रहेंगे जिसपर आने वाले व्यय की प्रति पूर्ती निविदाकार द्वारा की जावेगी।
20. म्युनिसिपल टैक्स वाहन काम्प्रेहेन्सिव बीमा एवं अन्य टैक्स जो शासन स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभारित किए जाऐंगे वह निविदाकार को व्यय करना पड़ेगा। आवश्यक होने पर उक्त करों की बिलों के भुगतान से कटौती की जा सकेगी।
21. कार्यालय को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा की वे प्राप्त निविदा में से किसी निविदा को या समस्त निविदाओं को बिना कारण निरस्त कर सकते हैं।
22. वाहन की नम्बर प्लेट स्पष्ट एवं परिवाहन विभाग के निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है एवं विभागीय अधिकारी का पद नाम की रेडियम नेम प्लेट रेगजीन कवर युक्त होना चाहिए।
23. वाहन चालक किसी राजनीति दल का सदस्य नहीं होना चाहिए एवं वाहन चालक पुलिस व्हेरीफिकेशन रिपोर्ट संलग्न होनी चाहिए।
24. वाहन की अनुपलब्धता पर 1500/– रूपये प्रति दिन की दर से कटौती की जायेगी।
25. वाहन चोरी होने पर भविष्य निधि कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
26. यात्रा के दौरान वाहन खराब होने पर रू. 2000/– तक का आकस्मिक सुधार अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जो किराये से कटौती योग्य होगा।
27. बिल वाहन मालिक के मुद्रित लेटर हेड पर बनाया जायेगा तथा चैक उसी नाम से काटा जावेगा अथवा ई–पेमेन्ट वाहन मालिक द्वारा दिये गये उनके बैंक खाते में किया जावेगा। वाहन मालिक प्रति माह बिल प्रस्तुत करे साथ ही बिल के साथ लॉग बुक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
28. निविदाकर्ता की फर्म्स अथवा कार्यालय का पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न कराना अनिवार्य है।
29. बिना कारण बतायें निविदा निरस्त करने का अधिकार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्वालियर को होगा।
30. अनुबंधित वाहन का अनुबंध अवधि के दौरान भविष्य निधि कार्यालय के अलावा कहीं अन्य उपयोग में लाने की अनुमति नहीं होगी एवं वाहन 24 घण्टे उपलब्ध कराना होगा।

## 6– कर शास्ति एवं पक्षकारों के मध्य विवाद :–

1. नियमों/शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप वसूल की गई राशि निविदाकार को वापिस नहीं की जायेगी।
2. इस अनुबंध के पक्षकरों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त वर्ग–।। क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

**(निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त निविदा ऑफर पर विचार नहीं किया जावेगा)**

इक्छुक पंजीकृत यात्रा एजेंसिया अपनी निविदाऐं निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं या खुद जमा कर सकते हैं, (लिफाफे के ऊपर स्टाफ कार सेवा हेतु निविदा अवश्य लिखें)।

**क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त–।।**
**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,**
**(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)**
**क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, संजय काम्प्लेक्स, जयेन्द्रगंज, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)**

**सहायक भविष्य निधि आयुक्त**
**क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)**

....6..

# वाहनों की अधिकतम किराया दर

| Duration | Over Time | Min. Hours Per Day | Min. Kms. Per Month | Hire Charges Per Month | Extra Charges beyond ----------kms. In ----------year |
|---|---|---|---|---|---|
| From_____ to_____ (Vehicle) | Rs._____ per night & no overtime (if any) | 10 Hours | 18000 Km. Adjustable for_____ _____years | Rs. _____ _____/- | Rs. _____Per Km. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(Separate Sheet may be attached if needed)

**हस्ताक्षर –**

1– निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम एवं पता– .....

.....

.....

2– निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम एवं – .....

संबंधित ट्रेवल एजेन्सी का विवरण .....

.....

**(निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्त्ता के हस्ताक्षर संस्था/एजेंसी की मोहर सहित आवष्यक हैं।)**

दिनांक : .....